

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.  
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 48-ए/2014

संस्थित दिनांक :- 11/12/2013

01. रघुवीर सिंह पुत्र रतनलाल कोरी उम्र 63 वर्ष  
02. जयराम सिंह पुत्र रतनलाल कोरी उम्र 51 वर्ष  
निवासीगण :- ग्राम छैंकुरी, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- वादीगण

### विरुद्ध

01. हीरालाल कोरी पुत्र अर्जुन कोरी उम्र 68 वर्ष  
निवासी :- ग्राम छैंकुरी, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)  
02. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला-कलेक्टर भिण्ड।

----- प्रतिवादीगण

### // निर्णय //

{आज दिनांक :- 22/02/2017 को घोषित किया}

(01). वादी रघुवीर एवं अन्य द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण हीरालाल एवं अन्य के विरुद्ध ग्राम सिनोर, तहसील गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 426/440 क्षेत्रफल 1.63 मे से क्षेत्रफल 0.77 हैक्टेयर, जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से चिन्हित की गई है और उक्त सर्वे क्रमांक की दक्षिण दिशा की ओर नाले तथा सड़क के बीच में स्थित है, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा स्वीकृत है कि वादीगण सर्वे क्रमांक 426/440 क्षेत्रफल 1.63 हैक्टेयर मे से 0.77 हैक्टेयर के तथा प्रतिवादी 0.86 हैक्टेयर का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादी सर्वे क्रमांक 426/440 क्षेत्रफल 1.63 हैक्टेयर मे से 0.77 हैक्टेयर के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त सर्वे क्रमांक के शेष भाग 0.86 हैक्टेयर का भूमि-स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादी क्रमांक 01 है। लगभग 20 वर्ष पूर्व पूर्वजों के समय आपसी सहमति से उक्त भूमि का घरोवा बंटवारा वादी-प्रतिवादी के मध्य हो चुका है और खेत में बीच में मेड़ डली हुई है। वादीगण को उक्त बंटवारे में मिला भूमि-भाग वादपत्र के साथ संलग्न

नक्शे में अ, ब, स एवं द से चिह्नित किया गया है, जो कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 426/440 के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादग्रस्त भूमि में से उत्तर का भाग मिला था, जिसे नक्शे में अ, ब, क, ख से चिह्नित किया गया है। दिनांक 20/11/2013 को प्रतिवादी अपने लड़को के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया और बोला कि रोड़ की तरफ हम खेत को जोतेगें और तुम पूर्व की दिशा की तरफ यानी नाले की तरफ खेत को जोतना और वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब से चिह्नित मेड़ जो कि पहले से मौजूद थी, को तोड़ने लगे और वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प, फ से चिह्नित भाग पर नई मेड़ डालने लगे और वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने लगे। अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घ. गोषित किया जाये कि वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 426/440 के वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से चिह्नित दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 0.77 हैक्टेयर का घरू बंटवारे के अनुसार आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा यह भी अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह उक्त अ, ब, स एवं द से चिह्नित दक्षिणी भाग से वादी को किसी भी प्रकार से बेदखल न करें, वादीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें और पुरानी मेड़ तोड़कर कोई नवीन मेड़ ना डाले।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादीगण का आधिपत्य सर्वे क्रमांक 426/440 के पूर्व दिशा के नाले की तरफ के भाग पर है, ना कि दक्षिणी भाग पर और प्रतिवादी का आधिपत्य उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि के सड़क की तरफ के पश्चिमी भाग पर है। उक्त दोनों भाग के बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर मेड़ डली हुई है। वादीगण द्वारा असत्य वाद प्रस्तुत किया गया है, दिनांक : 20/11/2013 को वादीगण एवं प्रतिवादी या उसके लड़को के मध्य कोई विवाद या बातचीत नहीं हुई। प्रतिवादी द्वारा कोई मेड़ नहीं तोड़ी गई। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). प्रतिवादी क्रमांक 02 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 15/09/2015 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम सिनोर, तहसील गोहद स्थित	“प्रमाणित नहीं”

सर्वे क्रमांक 426/440 क्षेत्रफल 1.63 मे से क्षेत्रफल 0.77 हैक्टेयर, जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से चिह्नित की गई है और उक्त सर्वे की दक्षिण दिशा की ओर नाले तथा सड़क के बीच में स्थित वादग्रस्त भाग के आधिपत्यधारी है?

02. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है? "अप्रमाणित"
03. क्या वादीगण द्वारा वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के अन्दर प्रस्तुत किया गया है? "प्रमाणित"
04. क्या वादीगण द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष न चाहे जाने के कारण उनका वाद अप्रचलनीय है? "अप्रमाणित"
05. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय? वाद निर्णय के पद क्रमांक 16 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

### // निष्कर्ष एवं आधार //

#### वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(07). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 01 रघुवीर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी नेतराम शर्मा वा.सा.02 ने वादीगण के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये है। वादीगण ने उनके वाद के समर्थन में नोटिस धारा 80 सीपीसी प्र.पी.01, नोटिस की रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी. 02, वर्ष 2013-14 की वादग्रस्त भूमि के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 03 एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 प्रस्तुत की है।

(08). वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 440/426 के वर्ष 2013-14 के खसरे एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, प्र.पी. 04 एवं प्रतिवादी हीरालाल की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2059 लगायत 2063 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.02 के अवलोकन से वादी-प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी होना दर्शित होते है और वादग्रस्त भूमि अबंटवाराकृत भूमि होना दर्शित होती है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में वादी रघुवीर वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह पढ़ा-लिखा ना होने के कारण यह नहीं बता सकता कि वादग्रस्त

भूमि का घरू बंटवारा किस दिनांक, महीना, तारीख, साल, सम्वत् में हुआ था। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि उक्त घरू बंटवारा उसके प्रति-परीक्षण दिनांक : 28/03/2016 से लगभग आठ-दस वर्ष पहले हुआ था। जबकि वाद-पत्र के पद क्रमांक 02 में वादी का कहना है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सहमति का बंटवारा पुरखों के समय 20 वर्ष पूर्व अर्थात् वाद प्रस्तुति दिनांक : 09/12/2013 से लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। इस प्रकार उक्त कथित बंटवारा कितने वर्ष पूर्व हुआ, इस वावत् वादी के अभिवचन एवं उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है। वादी साक्षी नेतराम वा. सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि उसे वादी प्रतिवादी के मध्य हुये वादग्रस्त भूमि के किसी बंटवारे की कोई जानकारी नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में हीरालाल प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का आज-तक कोई बंटवारा नहीं हुआ और वादग्रस्त भूमि उसकी एवं वादीगण रघुवीर तथा जयराम की हिस्सानुसार सामलाती भूमि है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी हीरालाल प्रति.सा.01 को दिये गये उक्त सुझावों से भी यह दर्शित होता है कि वादीगण यह मानते हैं कि वादग्रस्त भूमि उनकी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से वादग्रस्त भूमि अबंटवाराकृत होकर वादी-प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होना दर्शित होती है।

(09). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में वादी रघुवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त खेत में उत्तर से दक्षिण की ओर मेढ़ डली हुई है। तत्पश्चात् साक्षी ने कहा है कि नाले से पश्चिम की ओर मेढ़ डली हुई है और प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वजों के समय से मेढ़ डली हुई है और स्वतः कहा है कि पूर्वजों के समय से पूर्व से पश्चिम की ओर मेढ़ डली हुई है। साक्षी आगे कहता है कि उसके पिता के समय से कोई मेढ़ नहीं डली हुई है, लोग अपनी-अपनी मेढ़ डाल लेते हैं और वर्तमान में जो मेढ़ डली है, वह दो वर्ष पूर्व डाली गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में हीरालाल प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि घरू बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मेढ़ डली हुई है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में हीरालाल प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादीगण उक्त मेढ़ की दक्षिणी दिशा में तथा प्रतिवादी हीरालाल उक्त मेढ़ की उत्तर दिशा में आधिपत्यधारी हैं। इस प्रकार प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में वादी रघुवीर के मेढ़ के पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर डले होने संबंधी एवं उक्त मेढ़ कितनी पुरानी है, इस वावत् किये गये विरोधाभाष पूर्ण अभिसाक्ष्य से तथा प्रतिवादी हीरालाल प्रति.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर कोई स्थाई मेढ़ नहीं डली हुई है, बल्कि सुविधानुसार सहआधिपत्यधारी विभिन्न समयों पर,

विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दिशाओं में मेढ़ डालते रहते हैं।

(10). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 12 में रघुवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जयराम उसका भाई है और उसने जयराम के पक्ष में दिनांक : 17/09/2012 को वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया था, जिसमें उसने यह लिखवाया था कि विक्रीत भूमि किसी भी सड़क से लगी हुई या उसके समीप स्थित नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त विक्रय पत्र दिनांक : 17/09/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.05 प्रस्तुत की गई है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर यह नोट अंकित है कि विक्रय की जा रही भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग/जिला मार्ग/तहसील मार्ग/ग्रामीण मार्ग पर स्थित ना होकर उससे दूर है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 17/09/2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त विक्रय पत्र वादी रघुवीर वा.सा.01 द्वारा उसके भाई जयराम पुत्र रतनलाल के पक्ष में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 426/440 के क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर के संबंध में निष्पादित किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से ग्राम सिनौर स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 426/440 के अक्ष की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.01 प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि के समीप या उससे सटा हुआ कोई लोकमार्ग स्थित नहीं है। जबकि प्रतिवादी हीरालाल प्रति.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त खेत के पश्चिम दिशा में भिण्ड-कनाथर-मौ रोड़ स्थित है। हीरालाल प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त खेत रोड़ से लगा हुआ है और स्वतः कहा है कि वादग्रस्त भूमि के समीप सड़क निर्माण बाद में हुआ है। प्रतिवादी साक्षी सेवाराम प्रति.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त भूमि के पश्चिम दिशा में रोड़ है, जो भिण्ड से चलकर कनाथर होकर मौ के लिए आई है और वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि सड़क के किनारे स्थित है। इस प्रकार वादी-प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि भिण्ड-कनाथर-मौ रोड़ के समीप स्थित है।

(11). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वह ग्राम सिनौर तहसील गोहद स्थित सर्वे क्रमांक 426/440 क्षेत्रफल 1.63 हैक्टेयर में से 0.77 हैक्टेयर जो वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स एवं द से चिह्नित की गई है और उक्त सर्वे क्रमांक की दक्षिण दिशा की ओर नाले तथा सड़क के बीच में स्थित वादग्रस्त विशिष्ट भाग के आधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक : 02**

(12). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 01 रघुवीर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी नेतराम शर्मा वा.सा.02 ने वादीगण के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी रघुवीर वा.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर डली मेढ़ के संबंध में उसके एवं प्रतिवादी हीरालाल के मध्य कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, जबकि वाद-पत्र के पद क्रमांक 04 में वादीगण का सारतः यह अभिवचन है कि दिनांक : 20/11/2013 को प्रतिवादी ने उसके लड़कों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के साथ वादग्रस्त भूमि की मेढ़ के संबंध में झगड़ा किया। इस प्रकार इस वावत् वादीगण के अभिवचनों एवं वादी रघुवीर वा.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में प्रतिवादी हीरालाल प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मेढ़ डालने लगा, इस प्रकार उसके एवं वादीगण के मध्य विवाद हुआ और प्रतिवादी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह वादग्रस्त भूमि के पश्चिम से पूर्व की ओर पहले से डली किसी मेढ़ को मिटाना चाहता है। प्रतिवादी साक्षी सेवाराम प्रति.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दो साल पहले प्रतिवादी एवं उसके लड़कों ने यह धमकी दी थी कि वादग्रस्त खेत में पूर्व से पश्चिम जो मेढ़ डली हुई है, उसे वह तोड़ें और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर नई मेढ़ डालेंगे।

(13). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 01 या उसके पुत्रों द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के विधिक अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक : 03**

(14). प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उसके वादोत्तर की विशेष आपत्ति के पद क्रमांक 02 में सारतः यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर विगत 20 वर्षों से प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा है। इसलिए विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वादीगण का वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों से बाधित है। उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा स्वयं को वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ सहस्वामी होना दर्शित करते हुए एवं दिनांक 20/11/2013 को प्रतिवादी क्रमांक 01 का उसके लड़कों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण को धमकी देने से दिनांक : 20/11/2013 को उन्हें वाद कारण

उत्पन्न होना दर्शित करते हुए दिनांक : 20/11/2013 से मात्र 18 दिन पश्चात् दिनांक : 09/12/2013 को हस्तगत वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए प्रस्तुत हस्तगत वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक : 04**

(15). इस वाद प्रश्न के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा स्वयं को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी होना दर्शित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उन्हें आधिपत्य वापसी की सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः वादीगण द्वारा कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण उनका वाद अप्रचलनीय नहीं है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

**{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }**

- (16). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- (17). वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (18). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (19). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.